# कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुज़फ्फरपुर।

**परिवाद संख्या– 66–84/14** **तिथि–08.09.2015**

**युगल किशोर झा एंव 18 बनाम अन्य (रजला, कुढ़नी)**

**उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)**

## निर्णय

परिवादी श्री युगल किशोर झा एवं निम्नलिखित 18 अन्य द्वारा दिनांक–26.08.2014 को एक परिवाद दायर किया गया है :–

1. देव कुमार 2. गुनगुन कुमार 3. विकास कुमार 4. मो0 अदालत 5.रामऔतार ठाकुर 6. मो हमीद 7. जग्रनाथ पासवान 8. राजेन्द्र राम 9. जेबरी देवी 10. आदर देवी 11. सावित्री देवी 12. मंजू देवी 13. कृष्णा देवी 14. शिव शंकर पंडित 15. बिपत राम 16. प्रमिला देवी 17. संजय प्रसाद गुप्ता एवं 18. विनोद कुमार झा ।

इसमें उल्लेख किया गया है कि इन मजदूरों ने मनरेगा योजना अंतर्गत काम किया है परन्तु भुगतान लंबित है। इसके आलोक में मुखिया रजला, कुढ़नी, कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी एवं पंचायत रोजगार सेवक, रजला, कुढ़नी को नोटिस की गयी।

इसके जवाब में पंचायत रोजगार सेवक (पवन कुमार मंडल), रजला, कुढ़नी ने अपना प्रतिवेदन दिनांक–09.09.2014 को समर्पित किया जिसमें निम्नलिखित तथ्य अंकित है :–

कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी का ज्ञापांक–245 दिनांक–03.08.2012 के आदेशानुसार मेरा पदस्थापन ग्राम पंचायत रजला में हुआ। उक्त पंचायत के पूर्व पदस्थापित पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा प्रभार नहीं मिलने के कारण प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी को दिनांक–27.04.2013 तथा दिनांक–27.05.2013 को पत्र प्रेषित किया। तत्पश्चात् दिनांक–06.07.2013 को सिर्फ चार(4) संचिका का प्रभार मिला। जिसकी सूचना कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी को दिनांक–17.08.2013 को पत्र के द्वारा दिया। उसके बाद दिनांक–13.09.2023 को पाँच (5) संचिकाएँ प्रभार स्वरूप प्राप्त हुआ। जिसकी सूचना कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी को दिनांक–29.03.2014 को पत्र के द्वारा दिया। योजना से संबंधित एक भी अभिलेख उक्त रोजगार सेवक के द्वारा प्रभार स्वरूप मुझे प्राप्त नहीं हुआ।

कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी ने अपना प्रतिवेदन पत्रांक–250 दिनांक–13.12.2014 द्वारा समर्पित किया जिसमें निम्नलिखित तथ्य अंकित है :–

परिवादी श्री युगल किशोर झा एवं अन्य ग्राम पंचायत, रजला द्वारा पंचायत में मनरेगा योजना में कार्य के विरूद्ध भुगतान नहीं मिलने, मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा मनरेगा योजना का कार्य बंद कराने आदि के संबंध में भवदीय के समक्ष शिकायत दर्ज किया गया।

उक्त के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि पूर्व पंचायत रोजगार सेवक श्री उज्ज्वल कुमार द्वारा योजना संचिका का संपूर्ण मस्टर रॉल सहित संपूर्ण प्रभार बार--बार निदेशित किए जाने के बावजूद वर्त्तमान पंचायत रोजगार सेवक को नहीं दिया जा रहा है। श्री उज्ज्वल कुमार द्वारा प्रभार में सौपे गए अभिलेख में परिवादी मजदूरों का मस्टर रॉल संलग्न नहीं है एवं सभी योजना संचिका अधूरी है जिसके कारण इन मजदूरों के कार्य का सत्यापन नहीं हो पा रहा है और इनके बकाया मजदूरी के भुगतान कराने में कठिनाई हो रही है।

श्री उज्ज्वल कुमार द्वारा सभी योजना अभिलेख संपूर्ण मस्टर रॉल, सहित का प्रभार वर्त्तमान पंचायत रोजगार सेवक की सौपे जाने के बाद ही परिवाद पत्र में अंकित लंबित मजदूरी भुगतान का जाँच कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। पंचायत में मजदूरों की कार्य उपलब्ध कराने पर इनलोंगों द्वारा कहा जा रहा है कि जब तक हमलोंगो का बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा, हमलोग किसी भी नये योजना पर कार्य नहीं करेंगे।

पुनः कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी द्वारा पत्रांक–28 दिनांक–23.01.2015 द्वारा एक प्रतिवेदन समर्पित किया जिसमें निम्नलिखित बातें उल्लिखित है :–

परिवादी युगल किशोर झा एवं 18 अन्य व्यक्तियों द्वारा वनपोषक के रूप में कार्य के बदले भुगतान नहीं मिलने की शिकायत की गई है। उक्त के संबंध में कहना है कि पूर्व पंचायत रोजगार सेवक श्री उज्ज्वल कुमार द्वारा उक्त मजदूरों का नाम, मस्टर रॉल में दर्ज नहीं किया गया है और न ही इन मजदूरों के कार्य का ब्यौरा एम.आई.एस. में इन्ट्री कराया गया है।

अतः उक्त मजदूरों द्वारा किस योजना पर किस अवधि में तथा कितने दिन कार्य किया गया है आदि का सत्यापन नहीं हो पा रहा है एवं मजदूरों द्वारा किए जा रहे दावे के विरूद्ध भुगतान कराने में कठिनाई हो रही है। साथ ही इन उन्नीस मजदूरों के संदर्भ में जॉब स्टेटमेंट, मस्टर रॉल तथा एम.बी. उपस्थापित करना कठिन है।

कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी से परिवादी श्री युगल किशोर झा एवं 18 अन्य के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांग की गयी :–

01 पंचायत रोजगार सेवक के प्रभार का सत्यापन एवं विधिवत संधारण संबंधी सम्पुष्टि प्रतिवेदन।

02 अबतक पूर्व पंचायत रोजगार सेवक द्वारा प्रभार नहीं दिए जाने पर आपके स्तर से की गई कार्रवाई प्रतिवदेन।

03 मजदूर से कार्य स्थल पूछ कर योजना की जानकारी अभिलेख से मिलान कर स्वयं जाँच कर जाँच प्रतिवेदन ।

04 अनुबंध (19) के तहत रोजगार पंजी का निरीक्षण कर सम्पुष्टि प्रतिवेदन।

कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी संशोधित प्रतिवेदन पत्रांक–53 दिनांक–12.03.2015 द्वारा बिन्दुवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जो निम्नलिखित है :–

01 पूर्व पंचायत रोजगार सेवक उज्ज्वल कुमार द्वारा वर्त्तमान पंचायत रोजगार सेवक को वित्तीय वर्ष–2007–08 एवं 2008–09 के सम्पूर्ण योजना अभिलेख, रोकड़ बही, योजना पंजी आदि का प्रभार दिया गया है। किन्तु वित्तीय वर्ष–2009–10 में कार्यान्वित योजना अभिलेखों का विधिवत एवं सम्पूर्ण प्रभार नहीं सौपा गया है। उक्त वित्तीय वर्ष में कुल 19 योजनाओं पर कार्य कराया गया है, जिसमें 15 योजनाएँ वृक्षारोपण से संबंधित है। इन सभी योजनाओं की मापीपुस्त का प्रभार नहीं सौंपा गया हैं। विदित हो कि वृक्षारोपण की योजना का क्रियान्वयन तीन वर्ष तक होना था किन्तु अधिकतर योजनाओं में मस्टर रॉल 05.10.2010 तक का ही पाया गया हैं। अर्थात इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन मस्टर रॉल के आधार पर 01 वर्ष से कम अवधि तक ही कराया गया है। श्री उज्ज्वल कुमार द्वारा मनरेगा अधिनियम का पूर्णरूपेण उल्लंघन करते हुए मनमाने ढ़ग से पौधारोपण की योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया है जिसके कारण मजदूरों का हित प्रभावित हुआ है।

02 मुझे उक्त बात की सूचना प्राप्त होने के बाद प्रभार दिलाने हेतु पूर्व पंचायत रोजगार सेवक एवं वर्त्तमान पंचायत रोजगार सेवक को पत्र के माध्यम से एवं दूरभाष पर तथा उज्ज्वल कुमार को प्रखंड कार्यालय में अनेकोबार बुलाकर प्रभार देने का निदेश दिया गया है। मेरे काफी प्रयास के बाद उज्ज्वल कुमार पूर्व पंचायत रोजगार सेवक द्वारा आधा–अधूरा प्रभार सौंपा गया हैं एवं सम्पूर्ण प्रभार के नाम पर पूछे जाने पर टाल–मटोल करते रहते हैं।

03 मजदूरों से कार्य स्थल पूछ कर योजना की जानकारी अभिलेख से मिलान किया गया किन्तु अभिलेख से मिलान में पाया गया कि परिवादी युगल किशोर झा एवं 18 अन्य का नाम मस्टर रॉल में दर्ज नहीं है। लगभग सभी व्यक्ति द्वारा नवम्बर 2011 से फरवरी 2012 के बीच कार्य का दावा किया गया है किन्तु उक्त अवधि का मस्टर रॉल योजना अभिलेख में नहीं पाया गया है।

04 अनुबंध (19) के तहत रोजगार पंजी का सृजन उज्ज्वल कुमार पंचायत रोजगार सेवक द्वारा नहीं किया गया है।

लोकपाल मनरेगा मुजफ्फरपुर

एम.आई.एस. ऑफिसर, मनरेगा, मुजफ्फरपुर को मजदूरों द्वारा उपलब्ध कराए गए पास बुक सं0/जॉब कार्ड सं0/निबंधन सं0/खाता सं0 उपलब्ध कराते हुए यह पता करने को कहा गया कि एम.आई.एस. पर देख कर बतावें कि इन मजदूरों का भुगतान हुआ है या नहीं? उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मजदूरों के भुगतान संबंधी जानकारी हेतु योजना सं0 एवं किए गए कार्यों के मस्टर रॉल सं0 की आवश्यकता है। चूँकि यह अनुपलब्ध है इसलिए मजदूरों के द्वारा काम किया गया या नहीं तथा क्या कोई मजदूरी भुगतान लंबित है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है।

## —: विचारणीय बिन्दु :—

01 क्या मजदूरों द्वारा आवेदन में जैसा बताया गया है उसके अनुसार इन्होंने मनरेगा योजना में काम किया है। यदि हाँ तो उनकी मजदूरी का भुगतान हुआ है अथवा नहीं?

02 क्या मनरेगा योजना का काम पंचायत रोजगार सेवक, कार्यक्रम पदाधिकारी और मुखिया द्वारा नियमानुसार शुरू कराकर कराया गया है या नहीं? यदि नहीं तो कौन जिम्मेदार है? और उसके विरूद्ध क्या कार्रवाई होनी चाहिए?

03 क्या मजदूरों को कोई अन्य पारितोष (Relief) दिया जा सकता है?

## —: निष्कर्ष :—

विचारणीय बिन्दु (1) के संदर्भ में कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी द्वारा प्रतिवेदन मांगा गया जो पत्रांक—53 दिनांक—12.03.2015 द्वारा उपलब्ध कराया गया। इसमें इन्होंने बताया कि उज्ज्वल कुमार पूर्व रोजगार सेवक द्वारा वित्तीय वर्ष 2009—2010 में कुल 19 योजनाओं पर कार्य कराया गया जिनमें 15 योजनाएँ वृक्षारोपण से संबंधित है इनके मापी—पुस्त का प्रभार भी नहीं सौपा गया है। इन्होंने बार—बार पंचायत रोजगार सेवक को सूचना दी है कि वह सभी प्रभार सौप दें लेकिन उन्होंने संपूर्ण प्रभार नहीं सौपा। अनुबंध 19 का भी कोई उल्लेख नहीं है। इस पंजी का सृजन ही नहीं किया गया है। एम.आई.एस. ऑफिसर द्वारा भी बताया गया कि भुगतान संबंधी जानकारी हेतु योजना संख्या एवं किए गए एम.आर. की जरूरत होती है। अतः इसकी अनुपलब्धता के कारण इन मजदूरों के संदर्भ में यह बतलाना संभव नहीं है कि उन्हे कितना भुगतान हुआ है? मजदूरों द्वारा भी कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया गया है कि स्पष्ट रूप से पता चल सके कि किस योजना पर कहाँ, कब और कितने दिन काम किया है। अतः ऐसी स्थिति में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि कुल 19 मजदूरों ने वास्तव में काम किया है या नहीं, यह साबित नहीं हो पा रहा है। अतः इन्हें किसी तरह के भुगतान किए जाने का ओदश देना संभव नहीं है।

विचारणीय बिन्दु (2) के संदर्भ में विचार करते हुए मैं पाता हूँ कि वर्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी के प्रतिवेदन से ही स्पष्ट है कि तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, श्री उज्ज्वल कुमार द्वारा निर्देशों के अनुकूल मजदूरों से काम की शुरूआत नहीं करायी गयी। तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक के साँठ—गाँठ में तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी, श्री अश्विनी कुमार झा द्वारा योजनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया एवं तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक, श्रीमती रेखा कुमारी द्वारा भी निर्देशों के अनुकूल मापी नहीं की गई है और दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या (3) के संदर्भ में विचार करते हुए मैं पाता हूँ कि मजदूर यदि चाहे तो अपने साथ किए गए छल के संबंध में तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, मुखिया, पंचातय रोजगार सेवक आदि पर सक्षम न्यायालय के आपराधिक या दीवानी वाद दाखिल कर सकते हैं।

## —: आदेश :—

उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :—

(1) इन 19 मजदूरों का कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है।

(2) जितेन्द्र कुमार, वर्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी को ससमय प्रतिवेदन न देने के लिए चेतावनी दी जाए कि भविष्य में किसी तरह की लापरवाही न बरतें।

(3) महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के चैप्टर–IV, विविध के कंडिका–25 में उल्लिखित है :– Penalty for non-complaince—Whoever contravenes the provisions of this Act shall on conviction be liable which may extend to one thousand rupees. इसके आलोक में अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक अपने स्तर से तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी, अश्विनी कुमार झा, तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक, श्रीमती रेखा कुमारी एवं तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, रजला, कुढ़नी, श्री उज्ज्वल कुमार के विरूद्ध परिवाद दायर करें।

(4) मजदूर यदि चाहे तो अपने साथ किए गए छल के संबंध में तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, मुखिया, पंचायत रोजगार सेवक आदि पर सक्षम न्यायालय में आपराधिक या दीवानी वाद दाखिल कर सकते हैं।

ह0/

**लोकपाल (मनरेगा),**
**मुजफ्फरपुर।**

**ज्ञापांक : 104 / मुज0,दिनांक– 08 /09 /2015**

**प्रतिलिपि :–** सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
**प्रतिलिपि :–** जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।
**प्रतिलिपि :–** ज़िला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर कृपया आदेश की प्रति को ज़िले की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
**प्रतिलिपि :–** संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

रमेन्द्र नाथ राय
8/9/15

**लोकपाल (मनरेगा),**
**मुजफ्फरपुर।**

लोकपाल मनरेगा मुजफ्फरपुर

(8)